प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं..................212/22 दिनांक ....31/5/2022........

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7,7ए...........

(2) अधिनियम.........भा0द0स0 धारायें ..... 120 बी0....................

(3) अधिनियम......................... धारायें......................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........................629.... समय.................5:35 P.M.,

(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 30.05.2022, समय 2.45 पी0एम0

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 29.05..2022, समय 12.30 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर–पश्चिम 25 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से

(ब) पता – पासरोटियां चौराहा, झिराना पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक ....बीट संख्या .....जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ).–नाम :– **श्री मुकेश गुर्जर (टॉनी) पुत्र श्री देवकरण उम्र 29 साल निवासी लांक खेरा, ग्राम पंचायत डोडवाड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक**

(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय

(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.

(द).–व्यवसाय :– मजदुरी / खेती ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री हरिनारायण मीणा पुत्र श्री विजय लाल जाति मीणा उम्र 52 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा पोस्ट बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक।**
2. **श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट उम्र 42 साल निवासी झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (प्राईवेट दलाल)**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 20,000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 20,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते हुये को पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं मुकेश गुर्जर पुत्र श्री देवकरण उम्र 29 साल निवासी लांक खेरा, ग्राम पंचायत डोडवाड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक का रहने वाला हुँ। मेरी बुआ के लड़के के नाम से एक ट्रक है, जिससे में नियमानुसार रॉयल्टी कटवाकर बजरी परिवहन का काम करता हुं, फिर भी पुलिस थाना पीपलू के थानाधिकारी श्री हरिनारायण मीणा हमारी गाड़ी को रोककर आये दिन परेशान करते है, तथा दलालों के मार्फत हमारे से अवैध राशि वसूलते है। यदि हम पैसे नहीं देते है तो अनावश्यक रूप से परेशान करते है। आज भी सीआई साहब ने झिराना पुलिस चौकी पर मेरी अल्टो गाड़ी को खड़ी करवा दिया तथा मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। मुझे आज ही सीआई साहब से जाकर रिश्वत राशि की बात करनी होगी तभी मेरी गाड़ी को छोड़ेगे। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, तथा रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी सीआई साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन-देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

मुकेश गुर्जर पुत्र श्री देवकरण उम्र 29
साल निवासी लांक खेरा, ग्राम पंचायत
डोडवाड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक मो. न.
7877349864

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 29.05.2022 समय 12.30 पी0एम0 –

इस समय परिवादी मुकेश गुर्जर पुत्र श्री देवकरण उम्र 29 साल निवासी लांक खेरा, ग्राम पंचायत डोडवाड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरी बुआ के लड़के के नाम से एक ट्रक है, जिससे में नियमानुसार रॉयल्टी कटवाकर बजरी परिवहन का काम करता हुं, फिर भी पुलिस थाना पीपलू के थानाधिकारी श्री हरिनारायण मीणा हमारी गाड़ी को रोककर आये दिन परेशान करते है, तथा दलालों के मार्फत हमारे से अवैध राशि वसूलते है। यदि हम पैसे नहीं देते है तो अनावश्यक रूप से परेशान करते है। आज भी सीआई साहब ने झिराना पुलिस चौकी पर मेरी अल्टो गाड़ी को खड़ी करवा दिया तथा मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। मुझे आज ही सीआई साहब से जाकर रिश्वत राशि की बात करनी होगी तभी मेरी गाड़ी को छोड़ेगे। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, तथा रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी सीआई साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन-देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" प्रार्थना पत्र परिवादी मुकेश को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलेखनी में लिखा होना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "पुलिस थाना पीपलू के थानाधिकारी श्री हरिनारायण मीणा बजरी में चलने वाले सभी गाड़ियों से प्रत्येक गाड़ी से 2 हजार रूपये लेते है, यदि कोई गाड़ी वाला पैसे नहीं देता है तो उसे परेशान करने के लिए थाने के स्टॉफ के मार्फत उसकी गाड़ी को बिना किसी कारण के खड़ी करवा लेते है तथा पैसे देने पर ही छोड़ते है। वर्तमान में टोंक में बजरी की लीज हो चुकी है तथा सभी गाड़ी वाले रिवन्वा (रॉयल्टी देकर) कटवाकर ही बजरी परिवहन करते है, फिर भी सीआई साहब सभी गाड़ी वालो को परेशान करते है। सीआई साहब कुछ दिन पहले मुझे मिले थे तथा मेरे से 15 हजार रूपये मांगे थे, मैनें उन्हें देने के लिए मना कर दिया तो उन्होनें आज पुलिस चौकी झिराना थाना पीपलू पर मेरी अल्टो कार को खड़ा करवा दिया, और मेरे से पैसे की मांग कर रहे है, मैं पैसे दुंगा तभी मेरी अल्टो गाड़ी को छोड़ेगें। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। परिवादी ने स्वयं के नाम दर्ज अल्टो गाड़ी आरजे26 सीए 8403 से सम्बन्धित रिकार्ड एवं स्वयं के आधार कार्ड (322767699843) की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। समय 01.15 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं

आज ही सीआई साहब से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। अतः कानि0 राजकुमार को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा हिदायत दी की पीपलू पहुंचकर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाये। समय 1.40 पी0एम0 पर परिवादी मुकेश एवं कानि0 राजकुमार को मय वॉयस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर पीपलू रवाना किया गया। समय 5.30 पी0एम0 पर परिवादी मुकेश एवं कानि0 राजकुमार उपस्थित कार्यालय आये, कानि0 ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि ''एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर मैं व राजकुमार जी कानि0 पीपलू थाने के पास पहुंचे, जहां पर राजकुमार जी ने वॉयस रिकार्डर चालू करके मुझे दे दिया तथा खुद वही बाहर की तरफ ही रूक गये, मैं वहां से रवाना होकर पीपलू थाने के गेट के पास पहुंचा तो वहीं पर हमारे गांव का भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच मिल गया तथा मेरे साथ वो भी थाने के अन्दर चला गया। हम दोनों थाने में गये उस समय सीआई साहब अपने कक्ष में नहीं थे, थोड़ी देर बाद सीआई साहब अपने कक्ष में आ गये, जिनसे जाकर मैनें मेरे काम के बारें में बात की तो पहले तो वह मेरे पर नाराज हो गये तथा मुझे कहा कि तु 25 दिन से बिना एन्ट्री दिये ही गाड़ी चला रहा है, जिस पर मैनें उन्हें कहा कि मैनें तो 7–8 चक्कर ही लगाये है, जिनके 40 हजार रूपये तो मैं पहले ही दे चुका हुं तथा 15 हजार रूपये और शेष रहे है वो भी दे दुगां, जिस पर उन्होनें मेरे से 40 हजार रूपये की मांग की तथा 30 हजार रूपये लेने पर राजी हुये। सीआई साहब की मांग के अनुसार मुझे 20 हजार रूपये आज या कल तक भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच को देने है। रोडू सरपंच सीआई साहब का ही आदमी है। सीआई साहब ने मेरी अल्टो गाड़ी को छोड़ने के लिए भी कह दिया है, उक्त समस्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। इसके बाद मैंने थाने से बाहर आकर वॉयस रिकार्डर राजकुमार जी को दे दिया, जिन्होनें वॉयस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा वहां से रवाना होकर इस समय यहां आये है।'' कानि0 राजकुमार ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुयी। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि के 20 हजार रूपये आज या कल तक भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच को देने है तथा शेष 10 हजार रूपये 2 दिन बाद देने है। मेरे पास आज रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं मैं कल दिनांक 30.05.2022 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सीआई साहब के कहे अनुसार रोडू सरपंच को दे दूगां। जिस पर समय 6.30 पी0एम0 पर परिवादी को दिनांक 30.05.2022 को रिश्वत राशि लेकर उपस्थित कार्यालय आने हेतु आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 30.05.2022 समय 11.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश गुर्जर रिश्वत राशि 20 हजार रूपये लेकर उपस्थित कार्यालय आया, परिवादी ने बताया कि मेरी अल्टो कार को कल रात को छोड़ दिया था, साथ ही बताया कि रोडू सरपंच मुझे पैसों के लिए बार–बार कॉल करके झिराना बुला रहा है। समय 11.10 ए0एम0 पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। समय 11.40 पी0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1– बालकृष्ण हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी टोंक मोबाईल नम्बर 9509458550, 2–श्री पवन कुमार यूडीसी परिवार कल्याण कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी टोंक मोबाईल नम्बर 8209350617 उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 12.05 पी0एम0 पर परिवादी मुकेश गुर्जर को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक 375 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 20 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुयी पेन्ट की

बांयी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए गणेश सिंह कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी मुकेश गुर्जर को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने गले में पड़ी हुयी साफी (तौलिया) को सिर पर बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 1.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश गुर्जर एवं राजकुमार कानि0 160 को परिवादी की अल्टो कार से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256, महेश कुमार कानि0 17, जलसिंह कानि0 248 एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से झिराना के लिए रवाना होकर **समय 2.35 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के झिराना कस्बे से पहले पहुंचा, जहां पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 राजकुमार से वॉयस रिकार्डर चालूकरवाकर परिवादी को दिलवाया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर आरोपी से मिलने हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान के अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे हेतु मुकिम हुये। कुछ समय बाद पेन्ट शर्ट पहने हुये एक व्यक्ति परिवादी की गाड़ी के पास आया तथा परिवादी की गाड़ी में बैठ गया। परिवादी गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से रवाना हो गया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय हमाराहियान के परिवादी की गाड़ी के पीछे–पीछे प्राईवेट गाड़ी से रवाना हुआ, परिवादी गाड़ी से चलते–चलते पासरोटियां चौराहे के पास पहुंचा,** समय 2.45 पीएम पर परिवादी मुकेश गुर्जर ने अपनी अल्टो गाड़ी में बैठे–बैठे ही अपने सिर पर साफी बांधते हुये रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये, उसकी गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति की और ईशारा करते हुये बताया कि **"यही भंवर उर्फ रोडू सरपंच है, जिसने कल सीआई साहब से हुयी वार्ता अनुसार अभी–अभी मेरे से 20 हजार रूपये लिये है।"** इस पर उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये उसके हाथ में पकड़े हुये 500–500 रूपये के कुछ नोट गाड़ी की सीट पर फेंक दिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमारियान का परिचय देते हुये, उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट उम्र 42 साल निवासी झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक होना बताया। आरोपी भंवर लाल को परिवादी श्री मुकेश गुर्जर से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि **"मैनें कोई रिश्वत नहीं ली है, यह पैसे तो कांटा पर्ची के है।"** इस पर परिवादी श्री मुकेश गुर्जर ने स्वतः ही बताया कि **"रोडू जी सरपंच झुठ बोल रहा है, मैं नियमानुसार रॉयल्टी कटवाकर बजरी परिवहन का काम करता हुं, फिर भी पुलिस थाना पीपलू के थानाधिकारी श्री हरिनारायण मीणा हमारी गाड़ी को रूकवाकर आये दिन परेशान करते है, तथा रिश्वत की मांग करते है तथा इन रोडू सरपंच के मार्फत पैसे लेते है। कल दिनांक 29.05.2022 को भी हरिनारायण मीणा सीआई साहब पीपलू ने रिश्वत लेने हेतु बिना वजह ही मेरी अल्टो कार को झिराना पुलिस चौकी में खड़ी करवा दिया तथा मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं सीआई साहब से मिलने गया तब यह रोडू सरपंच भी वही मिल गया, इसके सामने ही कल सीआई साहब ने मेरे से बजरी परिवहन के बदले 40 हजार रूपये की मांग की तथा 30 हजार रूपये लेने पर राजी हुये तथा कहा कि 20 हजार रूपये आज ही इन रोडू सरपंच को देने के लिए कहा, सीआई साहब के कहे अनुसार ही मैनें अभी 20 हजार रूपये इनको दिये है।"** जिस पर पुनः आरोपी भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच को तसल्ली देकर पूछा तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि **"मेरा इन पैसों से कोई लेना–देना नहीं है, मैं तो कल पीपलू थाने की तरफ आया था, उस समय यह मुकेश गुर्जर भी थाने पर आया था, इसने मुझे बताया कि सीआई साहब बजरी की गाड़ियों के पैसे मांगते है, तथा आज मेरी अल्टो कार को भी झिराना पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया, तथा मुझे मिलने बुलाया है, मैं सीआई साहब को जानता हुं इसलिये मैं भी मुकेश गुर्जर के साथ सीआई साहब से मिलने चला गया, जहां पर सीआई साहब ने मुकेश गुर्जर के बजरी के वाहन चलाने की एवज में 40 हजार रूपये की मांग की थी तथा 30 हजार रूपये लेने के लिए राजी हो गये थे। सीआई साहब के कहने से ही मैनें आज मुकेश गुर्जर से 20 हजार रूपये लिये है, यह राशि मैं सीआई साहब को ही दुगां।"**

इस पर परिवादी ने बताया कि "**आज सुबह से ही इसका बार–बार फोन आ रहा था तथा पैसे मंगवा रहा था। जिस पर मैनें अभी इसको पैसे दिये है।**" जिस पर भंवर उर्फ रोडू सरपंच कुछ नहीं बोला चुप रहा। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् परिवादी की गाड़ी की सीट पर पड़ी हुयी 500--500 रूपये के नोटों को गवाह श्री पवन कुमार से उठवाकर गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना पाये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3EB	617359
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4LT	600518
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8VT	742170
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3HU	214910
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0FG	317408
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0HC	226023
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1CV	388360
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3FD	081898
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0EP	204187
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9FE	549438
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9BU	920595
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4EN	302234
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9DC	286798
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4EN	302252
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7WP	228131
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8UP	349944
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7AH	674474
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5EQ	536475
19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0FF	271364
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5NQ	052045
21.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2TT	675015
22.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7WE	340117
23.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9AQ	547700
24.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9SM	351345
25.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8PU	380036
26.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1DD	411870
27.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0EU	199273
28.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8KV	827339
29.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2SM	410881
30.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3TK	288582

31.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2PP	972741
32.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4FQ	066453
33.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5RP	806889
34.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5CK	465887
35.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7QW	348231
36.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7FS	714458
37.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9BF	949641
38.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7NW	893631
39.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7RM	094164
40.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1VD	907578

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। परिवादी की अल्टों गाड़ी की सीट जहां पर आरोपी ने रिश्वत राशि गिरा दी थी के धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। कार की सीट के उक्त स्थान जहां रिश्वत राशि गिरा दी थी को रूई के पोहे से साफ कर पोहे को उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क **सी–1, सी–2** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रूई (कॉटन) को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**सी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच ने बताया कि "मैं सीआई साहब की लोकेशन का पता लगाकर यह राशि उन्हें दे दुगां।" जिस पर समय 4.15 पीएम पर आरोपी भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9784922506 से आरोपी हरिनारायण सीआई के मोबाईल नम्बर 9829253114 पर व्हाट्सअप कॉल से वार्ता करवायी गयी तो हरिनारायण पु0नि0 ने स्वयं को ड्यूटी में बाहर होना बताया, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया, जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट बनायी जायेगी। परिवादी ने बताया कि सीआई साहब झुठ बोल रहे है, सीआई साहब थाने पर ही होगें। जिस पर आरोपी श्री भंवरलाल, परिवादी, स्वतंत्र गवाह एवं स्टाफ के सदस्यों को हमराह लेकर पुलिस थाना पीपलू के लिए रवाना हुआ। समय करीब 4.33 पीएम पर आरोपी भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9784922506 से आरोपी हरिनारायण सीआई के मोबाईल नम्बर 9829253114 पर कॉल किया, परन्तु आरोपी हरिनारायण ने कॉल नहीं उठाया। गोपनीय रूप से जानकारी करने पर हरिनारायण नि0पु0 का पुलिस थाना पीपलू पर ही मौजूद होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना पीपलू पहुंचा, तथा पुलिस थाना भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित थानाधिकारी के निवासरत कमरे में पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति मिला, जिसे अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये, उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरिनारायण मीणा पुत्र श्री विजय लाल जाति मीणा उम्र 52 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा पोस्ट बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक होना बताया। आरोपी हरिनारायण को परिवादी श्री मुकेश गुर्जर से परिचय करवाते हुये पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो, जिस पर उसने बताया कि **"मैं इसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन यह बजरी का काम करता है। यह और भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच एक–दो दिन पहले मेरे से मिलने आये थे, तब रोडू सरपंच ने मुझे बताया कि मुकेश गुर्जर मेरी बजरी की गाड़ी के पैसे नहीं दे रहा है, जबकि यह सामने वाली पार्टी से पूरा पैसा ले आया है, रोडू सरपंच मेरा जानकार होने से मैनें मुकेश गुर्जर को डाटते हुये रोडू सरपंच के पैसे लौटाने के लिए समझाया था। मेरा रोडू सरंपच तथा मुकेश गुर्जर से कोई उधार का लेन–देन नहीं है। आज यदि रोडू सरपंच ने मुकेश गुर्जर से मेरे नाम से कोई पैसे लिये हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। कल दिनांक 29.05.2022 को पुलिस चौकी झिराना के स्टाफ ने मुकेश गुर्जर की अल्टो कार को**

रोक लिया था, जिस पर इसने मुझे फोन किया तो मैनें इसे कहा था कि गाड़ी के कागजात दिखा देना और गाड़ी ले जाना।'' इस पर उपस्थित परिवादी श्री मुकेश गुर्जर ने स्वतः ही बताया कि **''सीआई साहब झुठ बोल रहे है, मेरे व रोडू सरपंच के बीच कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है। कल दिनांक 29.05.2022 को मैं व रोडू सरपंच सीआई साहब से मिले थे तब सीआई साहब ने मेरे से बजरी परिवहन के बदले 40 हजार रूपये की मांग की तथा 30 हजार रूपये लेने पर राजी हुये तथा 20 हजार रूपये आज ही इन रोडू सरपंच को देने के लिए कहा, सीआई साहब के कहे अनुसार ही मैनें आज 20 हजार रूपये रोडू सरपंच को दिये है। यह सभी बातें कल आपके रिकार्डर में भी रिकार्ड हो गयी थी। सीआई साहब ने मुझे परेशान करने के लिए मेरी अल्टो गाड़ी को भी झिराना पुलिस चौकी में खड़ी करवा दी थी, कल दिनांक 29.05.2022 को सीआई साहब से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता होने के बाद ही मेरी गाड़ी को छोड़ा है।''** इस पर आरोपी श्री हरिनारायण मीणा नि0पु0 चुप रहा। इसके पश्चात् श्री हरिनारायण मीणा के उक्त निवास कक्ष की तलाशी ली जाकर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब की गयी एवं दोनों आरोपी, परिवादी, स्वतंत्र गवाह एवं स्टाफ के सदस्य तथा समस्त आर्टिकल्स को हमराह लेकर मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना पीपलू से रवाना होकर इस समय एसीबी चौकी टोंक पहुंचा, एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। आरोपी श्री हरिनारायण की जेब से एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी मोबाईल नम्बर 9829253114 एवं एक सिम बीएसएनएल कम्पनी की मोबाईल नम्बर 8764526509 लगी हुयी है, एवं आरोपी श्री भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच के जेब से एक रियलमी कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसमें एक सिम जियो कम्पनी मोबाईल नम्बर 9784922506 लगी हुयी है, आरोपी हरिनारायण एवं आरोपी भंवरलाल के मध्य व्हाट्सअप कॉल से हुयी वार्ता के सम्बन्ध में स्क्रीनशूट लेकर प्रिन्ट निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनों मोबाईलों को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क–**एम** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 7.30 पी0एम0** पर आरोपी श्री हरिनारायण मीणा, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 7.40 पीएम पर आरोपी श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट उम्र 42 साल निवासी झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। **समय 7.50 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 04 खाली सीडीयों में राईट कर तीन सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2,ए–3** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। **समय 10.15 पी0एम0 पर** रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 30.05.22 को परिवादी व आरोपी तथा आरोपी हरिनारायण व आरोपी भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू/टेलिफोनिक वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 4 खाली सीडीयों में राईट कर तीन सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी–1,बी–2,बी–3 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। **समय 11.30 पी0एम0** पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **''एम–1''** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 11.40 पी0एम0** पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत

किया गया, **समय 11.50 पी0एम0** पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स को जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि032 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 11.55 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। **दिनांक 31.05.22 समय 07.00 ए0एम0 पर** पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश गुर्जर एवं स्वंतत्र गवाह बालकृष्ण व पवन कुमार उपस्थित आये। जिस पर **समय 07.15 ए0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान, एवं स्टाफ मय सरकारी वाहन मय चालक के घटनास्थल रवाना होकर **समय 7.45 ए0एम0** पर पासरोटिया चौराहा झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (घटनास्थल) पहुंचकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया। बाद फारिग समय 8.00 एएम पर रवाना होकर समय 8.30 एएम पर एसीबी चौकी टोंक पहुंचा, परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक समझाईस कर रूखसत किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री हरिनारायण मीणा, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु आरोपी श्री भंवरलाल उर्फ रोडू सरपंच से आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री मुकेश गुर्जर के बजरी परिवहन में चल रहे वाहन का अनावश्यक बन्द नहीं करने तथा निर्बाध रूप से चलाने की एवज में दिनांक 29.05.2022 को वक्त मांग सत्यापन 40 हजार रूपये की मांग कर 30 हजार रूपये लेना तय किया तथा अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 30.05.2022 को आरोपी श्री भंवरलाल (प्राईवेट दलाल) के मार्फत 20 हजार रूपये प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 एवं 120 बी ता0हि0 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः 1–आरोपी श्री हरिनारायण मीणा पुत्र श्री विजय लाल जाति मीणा उम्र 52 साल निवासी ग्राम किशोरपुरा पोस्ट बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक, 2–श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट उम्र 42 साल निवासी झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (प्राईवेट दलाल) के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री हरिनारायण मीणा पुत्र श्री विजय लाल, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपलू, जिला टोंक एवं 2. श्री भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट, निवासी झिराना, तहसील पीपलू, जिला टोंक (प्राईवेट दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 212/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1878-83 दिनांक 31.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(सर्तकता), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

31.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।